01.3.2024 पत्रावली आज पेश हुई अपीलार्थी के अधिवक्ता आज उपस्थित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता को न्यायालय हाजत में उपस्थित होने हेतु तीन बार आवाजें लगवाई गई परन्तु न तो अधिवक्ता उपस्थित है एवं न ही अपीलार्थी उपस्थित हुए है। ऐसे में अपील को और विचाराधीन रखना उचित नहीं होता है। अतः अपील पत्रावली को अधिवक्ता अपीलार्थी की अनुपस्थिति में अदम पैरवी/अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली बाद निस्तारण नम्बर से कम हो। LCC का रेकर्ड लौटाया जावें।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर